दुल्हन की विदाई के दौरान कुत्ते ने 60 लोगों को काटा

उत्तर प्रदेश के बदायूं की घटना, बारात घर में घुस आया था कुत्ता

बदायूं। एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दुल्हन की विदाई के दौरान बारात घर में घुसे आवारा कुत्ते ने शादी में शामिल वर-वधु पक्ष के 60 से अधिक लोगों को काट लिया। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सोमवार सुबह बिसौली थाना क्षेत्र में बिल्सी रोड पर स्थित अभिनंदन हॉल में हुई, जब एक आवारा कुत्ता परिसर में घुस गया और मेहमानों को काटने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आवारा कुत्ते के अचानक हमला करने से बारातघर में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और कई लोग बचकर भागने के प्रयास में एक-दूसरे पर गिर गए, जिससे उन्हें चोटें आईं। मौके पर हमले के बाद आवारा कुत्ता बारातघर से बाहर भाग गया और सड़क किनारे कई राहगीरों एवं दुकानदारों को काट लिया। उन्होंने बताया कि बाद में आवारा कुत्ता पास के एक गांव में घुस गया, जहां उसने कई मवेशियों पर हमला कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, आवारा कुत्ते के हमले में घायल लोगों को बिसौली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां उन्हें रेबीज रोधी टीका लगाया गया और फिर घर भेज दिया गया। चिकित्सा अधिकारी अरविंद वर्मा ने बताया कि सोमवार को कुल 109 लोगों को रेबीज रोधी टीका लगाया गया, जिनमें से लगभग 60 लोग बारातघर में हुई घटना के पीड़ित थे।

भाजपा के मार्च से यातायात प्रभावित, महिला मंत्री पर भड़की

महिला से विवाद पर मंत्री गिरीश महाजन ने मांगी माफी, पुलिस से भी उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा

मुंबई। ए। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने बुधवार को कहा कि भाईबंदर के वर्ली इलाके में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित एक रैली के दौरान कुछ यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यातायात जाम को लेकर उनसे बहस करने वाली एक महिला ने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। मंत्री ने बताया कि उन्होंने मौके पर ही महिला से माफी मांगी और पुलिस से भी उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा। महाजन को मंगलवार को उस समय एक महिला के गुस्से का सामना करना पड़ा, जब वह एक रैली के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। यह रैली लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित नहीं होने को लेकर विपक्ष को घेरने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। महाजन ने बताया कि इस रैली में करीब 15,000 से 20,000 महिलाओं ने भाग लिया था और इसे आवश्यक अनुमति तथा तय मार्ग के अनुसार आयोजित किया गया था, जिससे कुछ हद तक यातायात प्रभावित होना स्वाभाविक था। उन्होंने पुलिस की योजना में किसी भी चूक या बीआईपी संस्कृति के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि इतने बड़े जमावड़े से यातायात प्रभावित होना अवश्यंभावी है। मंत्री ने कहा कि महिला के व्यवहार के बावजूद उन्होंने पुलिस को उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने के निर्देश दिए।

महिला काफी गुस्से में थी

महाजन ने कहा, यह सही है कि हजारों महिलाओं के रैली में शामिल होने से यातायात प्रभावित हुआ। लेकिन वहां आई एक महिला काफी गुस्से में थी और उसने अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। हमने उसे बताया कि 10-15 मिनट में रास्ता खाली हो जाएगा, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी और उसने गुस्से में बोलल भी फेंक दी। यह घटना उस समय हुई जब मंत्री रैली स्थल पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान एक महिला, जो काफी नाराज दिख रही थी, उनसे भिड़ गई और सड़क जाम को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि प्रदर्शन पास के किसी मैदान में क्यों नहीं किया गया। महिला ने कहा, यहां से निकल जाइए, आप यातायात जाम कर रहे हैं। महिला ने यात्रियों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई।

मंत्री और महिला के बीच बहस का वीडियो वायरल

रैली के दौरान टकराव के बाद महाजन ने महिला को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वह दोबारा लौटकर नाराजगी जताती रही और कहा, आपको समझ में नहीं आता क्या? यहां सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। जब एक पुलिस अधिकारी ने हस्तक्षेप किया तो महिला ने बात करने से इनकार करते हुए किसी से भी संवाद न करने की बात कही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं को गुमराह करने और इस मुद्दे का इस्तेमाल झूठा विमर्श गढ़ने के लिए करने का आरोप लगाया।

न्यूज डायरी

जेल से रिहा हो सकती हैं अभिनेत्री रान्या राव

बेंगलुरु।ए। सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के एक साल बाद कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव बेंगलुरु केंद्रीय जेल से रिहा हो सकती है। यह जानकारी डीआरआई सूत्रों ने बुधवार को दी। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के अधिकारियों ने डीजीपी रैंक (निलंबित) पुलिस अधिकारी रामचंद्र राव की मौतेली बेटी हर्षद्धिधनी रान्या उर्फ रान्या राव को 2 मार्च, 2025 को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका था, क्योंकि उसने जनवरी 2025 से दुबई की कथित तौर पर 27 यात्राएं की थीं। अधिकारियों ने उससे सीधे तौर पर 14.213 किलोग्राम तस्करी की गई सोने की छड़ें जब्त कीं और बाद में उसके आवास से दो करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण बरामद किए।

गाजियाबाद में 29वीं मंजिल से गिरने से वृद्धा की मौत

गाजियाबाद (उप्र)। ए। गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम इलाके में बुधवार की सुबह एक आवासीय सोसाइटी की 29वीं मंजिल से संदिग्ध हालात में गिरने से 65 साल की महिला की मौत हो गयी। इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि अहिंसा खंड में स्थित ट्राइन टावर्स सोसाइटी की 29वीं मंजिल से गिरकर फूलवती नामक महिला की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि फूलवती एक कार पर गिरी थी।

रांची में मुठभेड़ के बाद कारोबारी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार

रांची। ए। झारखंड के रांची जिले में बुधवार को पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद एक हथियारबंद व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस पर एक जमीन कारोबारी भार्गव सिंह की हत्या में शामिल होने का आरोप है। मुठभेड़ में एक सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) भी घायल हो गया। पंडरा पुलिस चौकी क्षेत्र में सुबह करीब साढ़े सात बजे हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी सत्यम पाठक (35) के दोनों पैरों में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।

जातीय समूहों के बंद के कारण मणिपुर में जनजीवन अस्त-व्यस्त

इंफाल। ए। मणिपुर में अलग-अलग जातीय संगठनों द्वारा बुधवार को बुलाए गए बंद के कारण राज्य के 16 में से 12 जिलों में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। बिष्णुपुर जिले के ट्रॉंगलाओबी में सात अप्रैल को हुए बम हमले के विरोध में संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) द्वारा बुलाए गए पांच-दिवसीय बंद के चौथे दिन, घाटी के सभी पांच जिले प्रभावित रहे। इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई थी।

ईडी की जांच में मुख्यमंत्री का दखल लोकतंत्र के लिए खतरा : सुप्रीम कोर्ट

ममता पर सख्त टिप्पणी : यह केंद्र-राज्य में विवाद नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के आचरण का मामला

संवाद न्यूज एजेंसी।नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आईपैक के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दखल पर कहा कि इस तरह केंद्रीय एजेंसी की जांच में किसी मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना, लोकतंत्र को खतरे में डालना है।

जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा व जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा, यह केंद्र और राज्य के बीच विवाद नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के आचरण का मामला है। यदि कोई मुख्यमंत्री जांच के दौरान सीधे हस्तक्षेप करता है, तो इससे पूरी व्यवस्था और फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। ईडी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 8 जनवरी को कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पैक) के दफ्तर पर छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी और राज्य के अन्य अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि छापे के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल सामग्री भी हटा ली गई थी।

वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ईडी वैधानिक संस्था है और उसे मौलिक अधिकारों का दावा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच करना कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी है।

हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकते

यह राम और श्याम के बीच का मुकदमा नहीं है। इस मामले में परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न हैं, जो हो रहा है, हम उसकी वास्तविकता से आंखें नहीं मूंद सकते। हम राज्य में मौजूद व्यावहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
-जस्टिस प्रशांत किशोर मिश्रा

किसी ने नहीं सोचा होगा-मुख्यमंत्री जांच में दखल देगा

पीठ ने कहा कि यह असाधारण स्थिति है। इसे सामान्य कानूनी विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। दूसरी पीठ के समक्ष, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का मामला विचाराधीन है, हमने ऐसी स्थिति देखी है, जहां कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। क्या अब आप चाहते हैं कि याचिकाकर्ता ईडी और उसके अधिकारी सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायत लेकर मजिस्ट्रेट के पास जाएं? सांविधानिक ढांचे पर आधारित केशवानंद भारती जैसे मामले में ऐतिहासिक फैसलों में भी ऐसी परिस्थिति की कल्पना नहीं की गई थी। जस्टिस मिश्रा ने कहा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस देश में ऐसा दिन आएगा, जब एक मौजूदा मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसी की जांच में दखल देगा।

शीर्ष कोर्ट ने बताया असाधारण मामला

हर मामला संविधान पीठ के पास भेजना जरूरी नहीं

पीठ ने स्पष्ट किया : हर मामले को पांच जजों की संविधान पीठ के पास भेजना जरूरी नहीं है।

मेनका गुरुस्वामी (पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता) : याचिका की पोषणीयता पर ही सवाल है। यह केंद्र और राज्य सरकार का विवाद है। कोई गलत आचरण नहीं किया। किसी अधिकारी को नहीं धमकाया गया।

पीठ (दलील से असहमति जताते हुए) : कोर्ट खुद तय करेगी कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हस्तक्षेप को बहुत गंभीर बताया था

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को इस हस्तक्षेप को बहुत गंभीर बताते हुए पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी थी और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। अदालत ने इस मामले में सीएम , राज्य सरकार व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जवाब भी मांगा है।

ईडी जैसी संस्था संविधान के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का लाभ नहीं ले सकती

पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक की ओर से पेश वकील सिंघवी ने दलील दी : जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है, तो वह विभाग से अलग कोई स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं जता सकता। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में अधिकारी की पहचान उस वैधानिक संस्था से अलग नहीं होती, जिसके तहत वह काम कर रहा है। इस आधार पर ईडी जैसी सरकारी एजेंसी संविधान के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का लाभ नहीं ले सकती।

कई पीठ के फैसलों का हवाला भी दिया

सिंघवी ने अपने पक्ष के समर्थन में कई संविधान पीठ के फैसलों का हवाला दिया : इनमें स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन केस और बेरियम केमिकल्स समेत कई दलील शामिल थीं।

- सिंघवी ने कहा, फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि कंपनियां और वैधानिक संस्थाएं नागरिक नहीं मानी जातीं और इसलिए वे संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकतीं।
- सिंघवी ने कहा, कोई पक्ष वह काम अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, जिसे वह सीधे तौर पर करने का अधिकार नहीं रखता। ईडी अपनी याचिका के जरिये परोक्ष रूप से ऐसे सांविधानिक संरक्षण की मांग कर रहा है, जो उसे सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं है।

टेस्ला की एशिया-प्रशांत क्षेत्र प्रमुख इसाबेल बोलीं, सही समय का इंतजार

अमेरिका में 'ऑप्टिमस' का बड़े पैमाने पर उत्पादन इसी साल से

मुंबई।ए। अमेरिकी इलेट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला ने बुधवार को कहा कि वह इंसान की तरह दिखने एवं काम करने वाले ह्यूमनॉयड रोबोट 'ऑप्टिमस' को उचित समय पर भारत में पेश करेगी।

टेस्ला की एशिया-प्रशांत क्षेत्र प्रमुख इसाबेल फैन ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि कंपनी इस वर्ष अमेरिका में 'ऑप्टिमस' का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगी और भविष्य में ह्यूमनॉयड रोबोट मानव जीवन का अहम हिस्सा बनेंगे। फैन ने संवाददाताओं से कहा कि इस तरह के रोबोट का उपयोग इंसान के साथी के रूप में, खतरनाक कार्यों को करने और घरेलू चिकित्सा सहायता जैसी जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने ऑप्टिमस रोबोट की भारत में पेशकश के बारे में पूछे जाने पर कहा, जब समय उपयुक्त होगा, तब हम अन्य बाजारों की तरह इन उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को भारत में भी लाएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। फैन ने यह भी कहा कि टेस्ला भविष्य में भारत में अपने वर्टिकली इंटीग्रेटेड एनर्जी सॉल्यूशंस कारोबार को लाने पर भी विचार कर रही है। इसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और उपयोग समाधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं और उपयुक्त समय आने पर कंपनी इस क्षेत्र में भी कदम रख सकती है।

ओपनएआई ने इमेजेज 2.0 लॉन्च किया, मिलेगा अधिक रियल आउटपुट

अगली पीढ़ी का इमेज जनरेशन मॉडल बताया कंपनी ने

नई दिल्ली।ए। दिग्गज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और चैटजीपीटी की पैरेंट कंपनी ओपनएआई ने अपने प्लेटफॉर्म में इमेजेज 2.0 को लॉन्च किया है। यह एक अगली पीढ़ी का इमेज जनरेशन मॉडल है, जिसका उद्देश्य अधिक तर्क क्षमताओं के लिए सटीक, रियल और अधिक उपयोग विजुअल प्रदान करना है। कंपनी ने बताया कि इमेजेज 2.0 निर्देशों का पालन करने और इमेज में मौजूद बारीक एलिमेंट्स को संभालने के तरीके में सुधार करता है। यह छोटे टेक्स्ट, आइकन और यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स को पहले के मुकाबले अधिक सटीकता से प्रस्तुत करता है। साथ ही यह अलग-अलग अनुपात वाली इमेज को जनरेट करने में सक्षम है, जिसमें सोशल मीडिया ग्राफिक्स से लेकर प्रिजेंटेशन शामिल हैं। कंपनी के मुताबिक, इसमें एक बड़ा अपडेट सोचने की क्षमता है। यह मॉडल रियल-टाइम जानकारी के लिए वेब सर्च मॉडल का उपयोग करने में सक्षम है और एक ही प्रोम्प्ट से कई अलग-अलग इमेज जनरेट कर सकता है। ओपनएआई के मुताबिक, चैटजीपीटी इमेजेज 2.0 अलग-अलग भाषाओं में भी प्रदर्शन करने में सक्षम है। यह मॉडल जापानी, कोरियाई, चीनी, हिंदी और बंगाली भाषाओं में तस्वीरों के अंदर टेक्स्ट को अधिक सटीकता के साथ जारी कर सकता है।

चेन्नई में द्रमुक उम्मीदवार के सहयोगी से नकदी जब्त

चेन्नई। ए। मईलापुर विधानसभा क्षेत्र में द्रमुक उम्मीदवार के एक सहयोगी के घर से बुधवार को निर्वाचन आयोग के उड़न दस्ते ने 500 रुपये के कई नोट बंडल जब्त किए। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना की पुष्टि करते हुए चेन्नई के जिला निर्वाचन अधिकारी जे. कुमारगुरुबरन ने कहा कि मामले को संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उड़न दस्ते ने मंडावेलीपक्कम स्थित द्रमुक उम्मीदवार डी. ए. वेलु के सहयोगी सत्यामूर्ति के घर से नकदी बरामद की। साथ ही यह सबूत भी मिले हैं कि इस धनराशि को मतदाताओं को लुभाने के लिए रखा गया था। अधिकारी ने बताया कि जब्त नकदी की विस्तृत जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। इस सीट पर 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में वेलु का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन तथा टीवीके उम्मीदवार पी. वेंकटरामन से है।

मतदान करने बंगाल रवाना हुए लखनऊ के बंगाली

लखनऊ/कोलकाता।ए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक रेस्तरां में कबाब बनाने वाले शफीकुल और स्थानीय पुजारी रातन नाथ भट्टाचार्य , पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपने-अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गृह राज्य के लिए रवाना हो गए। इनके अलावा कई अन्य लोग भी मतदान के पूर्वी राज्य रवाना हुए हैं। इस चुनाव में घुसपैठिये, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के अलावा संभवतः यह पहला मौका है जब 'शाकाहारी बनाम मांसाहारी' का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जहां एक ओर यह आरोप लगा रही है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो मछली, मांस और अंडे खाने पर प्रतिबंध लगा देगी। पश्चिम बंगाल का मुख्य भोजन मछली और भात (चावल) है। वहीं दूसरी ओर, भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के इस आरोप को खारिज करने के लिए पार्टी के कुछ नेताओं से सार्वजनिक रूप से मछली और मांस का सेवन करवाया है।

सेप्टिक टैंक साफ करने उतरे तीन मजदूरों की मौत

पटना। ए। बिहार के भागलपुर जिले में सेप्टिक टैंक कर सफाई के दौरान दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत हो गई। जिले के कदवा थाना क्षेत्र में सफाई के लिए सेप्टिक टैंक में उतरे तीन मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए, उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY RAIPUR
(An Institute of National Importance)
Under Ministry of Education, Govt. of India
G.E. Road, Raipur - 492010 (CG)

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर निविदा जमादी हेतु निविदा आमंत्रित करता है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

Name of Work : Interior Colour Washing and Door Shutter Works in the Boys Hostel Mainpat, Chitrakoot, Malhar & Kotumsar at NIT campus Raipur. Enquiry no.: No./NITRR/EE/EO/Tender/2026/0259 Raipur, Dtd.: 21-04-2026 (1st call)

जो कि ई-निविदा के माध्यम से **www.tenderwizard.in/NITR** पोर्टल पर उपलब्ध है। निविदा जमा करने कि अंतिम तिथि: **28/04/2026 18:00** बजे तक व निविदा खुलने की तिथि **29/04/2026 16:00** बजे। फॉर्म व अन्य जानकारियाँ वेबसाइट **www.nitrr.ac.in** व **www.tenderwizard.in/NITR** से डाउनलोड कि जा सकती है।

—सही—
कार्यपालन अभियंता
संस्था विभाग, एन.आई.टी.रायपुर

ASA

मालेगांव विस्फोट : 4 आरोपी हाईकोर्ट से बरी

मुंबई। ए। बंबई उच्च न्यायालय ने 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी चार लोगों को बुधवार को बरी कर दिया और विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने चारों आरोपियों राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर सिंह सिंह नरवरिया और लोकेश शर्मा द्वारा विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को मंजूर कर लिया।

आप एमसीडी महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी: सौरभ भारद्वाज

नई दिल्ली। ए। आम आदमी पार्टी (आप) ने नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से एक दिन पहले बुधवार को घोषणा की कि वह दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर का चुनाव नहीं लड़ेगी। भाजपा के 250 सदस्यीय सदन में 123 पार्षद हैं जबकि आप के 101 पार्षद हैं। शेष सदस्य आम आदमी पार्टी से अलग हुए गुट - इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी और कांग्रेस के तथा निर्दलीय हैं। पार्टी ने पिछले साल भी महापौर और उप महापौर का चुनाव नहीं लड़ा था।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

क्षेत्रीय कार्यालय- बिलासपुर, पहली मंजिल, टीआर कॉम्प्लेक्स, एसबीआई के सामने, राजकिशोर नगर, लिंगियाडीह, बिलासपुर-495006 (छ.ग.), 07752-310229 / 310231
ई-मेल: recovery.bilaspur@bankofbaroda.com

बिक्री सूचना संपत्तियों की ई-नीलामी- "परिशिष्ट- IV - ए (नियम 8(6) और 9(1) देखें)"

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत चल/अचल संपत्तियों की ई-नीलामी रखी गई हैं। इस सूचना के द्वारा आम जनता और विशेषकर ऋणी, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित दृष्टिबंधक / गिरवी/ बंधक चल/ अचल संपत्तियों जो कि प्रतिभूति लेनदार के पास में, जिनका सांकेतिक / भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है कि बिक्री निम्नवर्णित खातों में वसूली के लिए ई-नीलामी द्वारा " जो है जहां है " , " जो है जैसी है " एवं " जो कुछ भी है " के आधार पर रखी गई हैं। कर्जदारों /जमानतदारों /सिक्योर्ड एसेट्स /बकाया /आरक्षित मूल्य /ई-नीलामी की तारीख, समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र.	ऋणकर्ता/जमानतदार (ओं) बंधककर्ता(ओं) का विवरण नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण के साथ बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं हैं.	कुल बकाया राशि	1.प्रारिक्षत मूल्य 2.बयाना एवं 3.बोली राशि	कब्जे का स्वरूप सांकेतिक/भौतिक
01	श्री भुवनेश्वर तिवारी पिता श्री बसंत कुमार तिवारी एवं श्रीमती प्रीती तिवारी ग्राम-खजुरी, नवागांव, काताकोनी तखतपुर, बिलासपुर, छ.ग. - 495001	साम्यिक बंधक भूमि एवं भवन साम्यिक बंधक परिवर्तित आवासीय ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग स्थित गोजा- लिंग्याडीह प.ह.नं.-20 / 21, आर.एन.एस - बिलासपुर, खसरा नं.- 54 / 571, प्लाट क्षेत्रफल 990 वर्गफीट, प्लाट नं.-182, ब्लॉक नं.-04, राजस्व कॉलोनी, तहसील एवं जिला बिलासपुर, छ.ग. है जो श्री भुवनेश्वर तिवारी के नाम पर है. संपत्ति की सीमाएं: पूर्व - तेजेंद्र प्रताप की भूमि, पश्चिम - विक्रेता की भूमि, उत्तर- मोतीलाल गुप्ता की भूमि, दक्षिण - सड़क	रु. 63,50,100.00 + ब्याज + अन्य प्रभार	रु 56,70,000.00 रु 5,67,000.00 रु 10,000.00	भौतिक कब्जा
02	श्री भुवनेश्वर तिवारी (उपारकर्ता) पिता श्री बसंत कुमार तिवारी एवं श्रीमती प्रीती तिवारी (सह-उपारकर्ता) ग्राम-खजुरी, नवागांव, काताकोनी तखतपुर, बिलासपुर, छ.ग.-495001	साम्यिक बंधक आवासीय भूमि एवं सेमी फर्नीश्ड मकान स्थित खसरा नं.-112 / 3, क्षेत्रफल- 636 वर्गफीट, प.ह.नं.- 21 / 35, दीनदयाल उपाध्याय नगर वार्ड मंगला आरआईसी तहसील एवं जिला- बिलासपुर, छ.ग. है जो श्री भुवनेश्वर तिवारी पिता श्री बसंत कुमार तिवारी के नाम पर है. सीमाएं: उत्तर - विक्रेता की भूमि, दक्षिण - सड़क, पूर्व - लक्ष्मीकांत तिवारी की भूमि, पश्चिम - विक्रेता की भूमि.	रु. 25,65,769.00 + ब्याज + अन्य प्रभार	रु 18,000,000.00 रु 1,80,000.00 रु 10,000.00	भौतिक कब्जा

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 04.06.2026,दोपहर 2:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक एवं संपत्ति निरीक्षण करने की तिथि एवं समय 25.05.2026 दोपहर 1:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक। बिक्री संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया हमारी ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल https://baanknet.com में दिये गये लिंक का संदर्भ लें. भावी बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से फोन नं. 9769746302 / 9109993959 पर भी संपर्क कर सकते हैं.

दिनांक : 23.04.2026, स्थान: बिलासपुर (छ.ग.) — प्राधिकृत अधिकारी,बैंक ऑफ़ बड़ौदा

सत्यप्रतिलिपि के आधार पर साप्यापूर्ण बंधक की आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित हो कि मेरे व्यवहारी बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कोयराडी थाना पुरुर जिला बालोद (492012) के द्वारा विक्रय कुमार कोसरिया पिता श्री सालिकराम कोसरिया जाति ढीमर निवासी बाजार पारा वार्ड नंबर 6, चारामा पोस्ट व तहसील चारामा जिला कांकेर (छ.ग.) की उसकी संपत्ति ग्राम चारामा वार्ड क्रमांक 6, रानी दुर्गावती वार्ड, प.ह.नं. 06, रा.नि.नं. ग्राम तहसील चारामा जिला कांकेर (छ.ग.) खिसका खसरा नम्बर 948, रकबा 0.02 हेक्टेयर (202.5 वर्गमीटर) के पंजीकृत दस्तावेज असल बिक्री पत्र दिनांक 15.12.2017, पुस्तक क्रमांक 1, इन्स क्रमांक 4025, पृष्ठ क्रमांक 171 से 191 विलेख क्रमांक 746 निष्पादित हो जाने के बाद पुरुर जिला बालोद में गैना क्रमांक 0/2026 दिनांक 20.03.2026 की सूचना दी जाकर उक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रति को साप्यापूर्ण बंधक में जमा रखकर श्री विजय कुमार कोसरिया एवं श्रीमतीप्रिती कोसरिया को विक्रय पोषित ऋण दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः सर्व साधारण को सूचित हो कि उपरोक्त आवेदक विजय कुमार कोसरिया पिता श्री सालिकराम कोसरिया, श्रीमती प्रिती कोसरिया पति श्री विजय कुमार कोसरिया दोनों जाति ढीमर निवासी बाजार पारा वार्ड नंबर 6, चारामा पोस्ट व तहसील चारामा जिला कांकेर (छ.ग.) को प्रदत्त विक्रय पोषित ऋण के तारण में रखी गयी उपरोक्त ऋणी के व्यक्तिगत स्वामित्व की सम्पत्ति के मूल दस्तावेज के विक्रय पत्र की सत्य प्रतिलिपि के आधार पर किये जाने वाले साम्यापूर्ण बंधक पर किसी व्यक्ति विशेष, राष्ट्रीकृत बैंकों या अन्य को कोई उजर दावा अथवा आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 07 दिन के भीतर अपनी आपत्ति मेरे कार्यालय में अध्यक्ष बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोयराडी तहसील पुरुर जिला बालोद (छ.ग.) में आपत्ति के आधारों सहित प्रस्तुत कर देवें।

अन्यथा मेरे व्यवहारी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा कोयराडी तहसील पुरुर जिला बालोद द्वारा आवेदक विक्रय कुमार कोसरिया एवं श्रीमती प्रिती कोसरिया को प्रदत्त विक्रय पोषित ऋण हेतु विजय कुमार कोसरिया के व्यक्तिगत स्वामित्व की सम्पत्ति की मूल दस्तावेज के अभाव में उपरोक्त सत्य प्रतिलिपी को उपरा रखा साम्यापूर्ण बंधक का पुख्ता कर दिया जायेगा एवं आपत्तिकर्ता को मेरे व्यवहारी के सम्यक बंधक सम्पत्ति बाबत किसी भी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार सर्व-साधारण सूचित हो।

दिनांक : 07.04.2026
स्थान : धमतरी (छ.ग.)

भवदीय,
(कीर्ति शाह, एडवोकेट)
श्री जगदीश मंदिर स्ट्रीट, धमतरी (छ.ग.)

पावरग्रिड POWERGRID

सूचना

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के साथ पठित धारा 79(1)(ध) और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(क) और विनियम 23 के साथ पठित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियम, 2024 के तहत पश्चिमी क्षेत्र में **"मध्य प्रदेश में 765 / 400 केवी इंदौर एस / एस पर ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता के विस्तार के अंतर्गत जीआईएस बस बस्टर एवं केबल सहित सहायक बेस एवं उपकरण के साथ 765 / 400 केवी इंदौर एस / एस पर 1x1500 एमवीए (तीसरा) आईसीटी के लिए बीओसीओ से 31.03.2029 तक टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका।**

उपर्युक्त ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभार्थी हैं: (1) एमपीपीएमसीएल, जबलपुर (2) एमएसईबी सीएल, मुंबई (3) जीयूवीएनएल, बड़ौदा (4) विद्युत विभाग, गोवा सरकार, पणजी (5) डीएनएचडीडीपीसीएल, सिलवासा (6) सीएसपीडीसीएल, रायपुर (7) स